



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कांकेर वनमंडल अंतर्गत डोमपदर-मानपुर, कांकेर-डोमपदर, पुरियारा-विश्रामपुरी, चारामा-नरहरपुर, आमाबेड़ा-कोरर, कोरर-मालगांव तथा कांकेर- पुरियारा सड़क किनारे राईट ऑफ-वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.502 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.242 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 1.016 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.359 हे कुल रकबा 2.119 हे. वन भूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के अभिमत से सहमत होते हुए ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 2.119 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 12/07/2023

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(व्ही. श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
Principal Chief Conservator of Forests
छत्तीसगढ़, रायपुर
Chhattisgarh



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर-492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-882A/1633

रायपुर, दिनांक 13/07/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषय:— Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in along with RoW (Round Corridor) Kanker Division under Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojna (SKY), Area 2.119 ha.

— पंजीयन क्रमांक — FP/CG/OFC/87496/2020

संदर्भ:— मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक /मा.चि/ 2023/1568 दिनांक 10.05.2023 एवं पत्र क्रमांक 1946 दिनांक 13.06.2023

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कांकेर वनमंडल अंतर्गत डोमपदर-मानपुर, कांकेर-डोमपदर, पुरियारा-विश्रामपुरी, चाराम-नरहरपुर, आमाबेड़ा-कोरर, कोरर-मालगांव तथा कांकेर- पुरियारा सड़क किनारे राईट ऑफ-वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.502 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.242 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 1.016 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.359 हे कुल रकबा 2.119 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:—

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र— आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कांकेर वनमंडल अंतर्गत डोमपदर-मानपुर, कांकेर-डोमपदर, पुरियारा-विश्रामपुरी, चाराम-नरहरपुर, आमाबेड़ा-कोरर, कोरर-मालगांव तथा कांकेर- पुरियारा सड़क किनारे राईट ऑफ-वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.502 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.242 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 1.016 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.359 हे कुल रकबा 2.119 हे. वन भूमि की मांग की गई है।	1-2
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:— प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/87496/2020 आबंटित किया गया है।	3-11
3.	वन क्षेत्र का विवरण:— महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कांकेर वनमंडल अंतर्गत डोमपदर-मानपुर, कांकेर-डोमपदर, पुरियारा-विश्रामपुरी, चाराम-नरहरपुर, आमाबेड़ा-कोरर, कोरर-मालगांव तथा कांकेर- पुरियारा सड़क किनारे राईट ऑफ-वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.502 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.242 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 1.016 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.359 हे कुल रकबा 2.119 हे. में गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है।	12-16

4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:- ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में गैर वन भूमि की आवश्यकता नहीं है।	17
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:- प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	18-19
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:- प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	20-32
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव:- प्रपत्र 04 में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु परियोजना की लागत रु. 510 लाख बतायी गई है। आवेदक संस्थान ने कथन किया गया है, कि ऑप्टिकल फाईबर लाईन केबल लाईन बिछाने से मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढीकरण से एल.डब्ल्यू.ई क्षेत्रों में इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी होगा, इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में पदस्थ सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों तथा पुलिस के जवानों में पारस्परिक संवाद, सुविधा एवं आपात स्थिति में त्वरित सहायता, उपलब्ध होगी, जिससे कि उग्रवाद के विस्तार में अंकुश लगेगा। साथ ही हमारे जवानों के जीवन रक्षा में अत्यंत सहयोगी होगा।	33-41
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:- कांकेर वनमंडल के कांकेर/नरहरपुर/ सरोना/चारामा/ कोरर परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 0.502 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.242 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 1.016 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.359 हे कुल रकबा 2.119 हे. में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। कांकेर जिले में मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढीकरण से एल.डब्ल्यू.ई क्षेत्रों में इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी होगा, इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में पदस्थ सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों तथा पुलिस के जवानों में पारस्परिक संवाद, सुविधा एवं आपात स्थिति में त्वरित सहायता, उपलब्ध होगी, जिससे कि उग्रवाद के विस्तार में अंकुश लगेगा। साथ ही हमारे जवानों के जीवन रक्षा में अत्यंत सहयोगी होगा।	42-43
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:- महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कांकेर वनमंडल अंतर्गत डोमपदर-मानपुर, कांकेर-डोमपदर, पुरियारा-विश्रामपुरी, चारामा-नरहरपुर, आमाबेड़ा-कोरर, कोरर-मालगांव तथा कांकेर- पुरियारा सड़क किनारे राईट ऑफ-वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.502 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.242 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 1.016 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.359 हे कुल रकबा 2.119 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में मांग की गई वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है।	44
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्य/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही:- इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	45
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:- कांकेर वनमंडल के कांकेर/नरहरपुर/ सरोना/चारामा/ कोरर परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 0.502 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.242 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 1.016 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.359 हे कुल रकबा 2.119 हे. में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु भाग - II पर प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है जो परियोजनाओं के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	46-57

12.	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र:- प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	58
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र- ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के संबंधित 45 ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	59-104
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:- कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत कुल वन भूमि रकबा 3686.685 वर्ग कि.मी. है।	105
15.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:- कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृत रकबा 139.729 हेक्टेयर प्रभावित हो रही है।	106
16.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:- व.स.अ.-1980 तहत कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत स्वीकृति प्रकरणों में इसी श्रेणी के कुल 02 प्रत्यावर्तन प्रकरण में रकबा 4.843 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।	107
17.	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, कांकेर का प्रतिवेदन संलग्न है।	108
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- आवेदित क्षेत्र के लिये भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 26.02.2019 के अनुसार ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वितरित वन अधिकार मान्यता पत्र प्रकरण के प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत की जावेगी। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	109-110
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्ताव में रकबा 0.359 हे. राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कांकेर के पत्र क्रमांक /252/भू.अ/2023 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	111-114
20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):- आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क राशि 6000/- रुपये डी.डी. क्रमांक 126025 दिनांक 16.01.2020 एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 29000/- रुपये डी.डी. क्रमांक 126026 दिनांक 16.01.2020 इस प्रकार कुल राशि 35000/- रुपये वनमंडलाधिकारी कांकेर के पी.डी खाते में जमा किया गया है।	115-117
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:- आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	118

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 02 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-
1. प्रस्ताव 02 प्रति में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग-4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.स. द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/ भू-प्रबंध/विविध-ए/115-882A/ 1654
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 13/07/2023

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़